

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 142/2025

दायर दिनांक 24.04.2025

वादी

1. जुगलकिशोर पुत्र
मांगीलाल जाति
ब्राह्मण निवासी
बेगसर तहसील
मौलासर जिला
डीडवाना-कुचामन

प्रतिवादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शिवदत्त
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. शिवदत्त
3. जुगलकिशोर पुत्र स्व. शिवदत्त
4. रूपनारायण पुत्र स्व. शिवदत्त
5. रामअवतार पुत्र स्व. शिवदत्त
6. कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
7. दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
8. मनोजकुमार पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
9. महेन्द्रकुमार पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
10. कुशम पुत्री स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
11. विजय कुमार पुत्र स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
12. सुशीलकुमार पुत्र स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
13. सुमित्रादेवी पत्नी स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
14. बबीता पुत्री स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
15. सीमा पुत्री स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
16. कैलाश पुत्र स्व. मांगीलाल
17. रामविलास पुत्र स्व. मांगीलाल
18. सत्यनारायण पुत्र स्व. मांगीलाल समस्त जाति
ब्राह्मण निवासी बेगसर तहसील मौलासर जिला
डीडवाना-कुचामन राज.
19. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीडवाना
20. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा,

अन्तर्गत धारा- 88, 53 R.T.Act.,

उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 06.05.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा बेगसर पटवार हल्का बेगसर के खेत खसरा संख्या 423 रकबा 0.0100 है., खेत खसरा संख्या 424 रकबा 0.1600 है., खेत खसरा संख्या 425 रकबा 2.5900 है., खेत खसरा संख्या 428 रकबा 1.2100 है., खेत खसरा संख्या 431 रकबा 0.0200 है., खेत खसरा संख्या 432 रकबा 0.0100 है. वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 23.03.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

W.S.
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: राजस्व/2026/351 दिनांक 30.04.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/2026/351 दिनांक 30.04.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

मौजा बेगसर पटवार हल्का बेगसर के खेत खसरा संख्या 423 रकबा 0.0100 है., खेत खसरा संख्या 424 रकबा 0.1600 है., खेत खसरा संख्या 425 रकबा 2.5900 है., खेत खसरा संख्या 428 रकबा 1.2100 है., खेत खसरा संख्या 431 रकबा 0.0200 है., खेत खसरा संख्या 432 रकबा 0.0100 है. वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: राजस्व/2026/351 दिनांक 30.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: राजस्व/2026/351 दिनांक 30.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

wkeas
(विकास ~~सेक्टर~~ ~~माफिया~~ R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

wkeas
(विकास ~~सेक्टर~~ ~~माफिया~~ R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 142/2025

दायर दिनांक 24.04.2025

वादी

प्रतिवादीगण

1. जुगलकिशोर पुत्र
मांगीलाल जाति
ब्राह्मण निवासी
बेगसर तहसील
मौलासर जिला
डीडवाना-कुचामन

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. शिवदत्त
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. शिवदत्त
3. जुगलकिशोर पुत्र स्व. शिवदत्त
4. रूपनारायण पुत्र स्व. शिवदत्त
5. रामअवतार पुत्र स्व. शिवदत्त
6. कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
7. दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
8. मनोजकुमार पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
9. महेन्द्रकुमार पुत्र स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
10. कुशम पुत्री स्व. श्रीनिवास पुत्र स्व. शिवदत्त
- बनाम 11. विजय कुमार पुत्र स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
12. सुशीलकुमार पुत्र स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
13. सुमित्रादेवी पत्नी स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
14. बबीता पुत्री स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
15. सीमा पुत्री स्व. बंकटलाल पुत्र स्व. शिवदत्त
16. कैलाश पुत्र स्व. मांगीलाल
17. रामविलास पुत्र स्व. मांगीलाल
18. सत्यनारायण पुत्र स्व. मांगीलाल समस्त जाति
ब्राह्मण निवासी बेगसर तहसील मौलासर जिला
डीडवाना-कुचामन राज.
19. मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीडवाना
20. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा,

अन्तर्गत धारा- 88, 53 R.T.Act.,

दिनांक 06.03.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुददई श्री ओमप्रकाश पूनिया वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर
हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर मौजा बेगसर पटवार हल्का
बेगसर के खेत खसरा संख्या 423 रकबा 0.0100 है., खेत खसरा संख्या 424 रकबा
0.1600 है., खेत खसरा संख्या 425 रकबा 2.5900 है., खेत खसरा संख्या 428 रकबा
1.2100 है., खेत खसरा संख्या 431 रकबा 0.0200 है., खेत खसरा संख्या 432 रकबा
0.0100 है. वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के
मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर,
तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: पत्रांक:
राजस्व/2026/351 दिनांक 30.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को

Wkas
अधिका
डीडवाना

स्वतन्त्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: पत्रांक: राजस्व/2026/351 दिनांक 30.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.03.2026 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wras
~~सहायक कलक्टर~~
डीडीवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wras
~~सहायक कलक्टर~~
डीडीवाना